न्यायालय उपखण्ड कलक्टर (मु.) सीकर

बनवान [illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा नं. आवेदन पत्र अ० धारा 212 RT Act 55/2024

27/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से एड० श्री [illegible] वापस उपस्थित होकर पत्र के साथ आवेदन पत्र अ० धा० 212 RT Act पेश किया। आवेदन पत्र पर रिपोर्ट वापस लिपिक ले गई। आवेदन पत्र अ० धा० 212 RT Act रजिस्टर किया जावे। अभिभाषक को पक्षिय रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किया जावे पत्रावली दिनांक 14/6/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने अभिभाषक के रजिस्टर्ड नोटिस रसीद सहित पेश किए। पढ़े शामिल पत्रावली किए गए। पत्रावली बाबत तामील आदेश दिनांक 15/7/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	
25/6/24	पत्रावली प्रार्थी अनन्त के आवेदन पत्र बाबत पत्रावली वापसी पर आज पेशी है पूर्व पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने पत्रावली पर नोटेड किया तथा आदेशपीट पर हस्ताक्षर किया मूल पत्र नोटेड के वापिस किया जा चुका है। इसलिए इस आवेदन पत्र अ० धा० 212 RT Act का अग्रग्रलाप पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी/वकील प्रार्थी की मर्जी के आधार पर आवेदन पत्र अ० धा० 212 RT Act प्रार्थी नोटेड के वापिस किया जाता है। पत्रावली अपील झूठार के बाद सम्पर्पाते अभिलेखागार हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर निर्णय आज दिनांक 25/6/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	Not Press (अनन्त कुमार) Advocate

अभिभाषक संघ, सीकर